XII 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

30 जून 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र के आकार में 30.02 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2018-19 के ₹1,930.36 बिलियन की तुलना में 2019-20 में सकल कुल आय ₹1,496.72 बिलियन रही। पिछले वर्ष की आय में आकस्मिकता निधि से बेशी प्रावधान की ₹526.37 बिलियन प्रतिलेखन आय भी शामिल थी। इसको पिछले वर्ष की आय से निकालने के बाद की गई तुलना में 2019-20 की आय में सीमांत वृद्धि दिखती है। 2018-19 के ₹170.45 बिलियन की तुलना में बैंक का 2019-20 में व्यय ₹925.40 बिलियन रहा जिसमें आकस्मिकता निधि हेतु ₹736.15 बिलियन का जोखिम प्रावधान शामिल है। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष ₹571.28 बिलियन रहा।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है इससे सामान्यतया उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.2 तुलन-पत्र में ₹12,318.88 बिलियन अर्थात् 30.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹41,029.05 बिलियन था जो 30 जून 2020 को बढ़कर ₹53,347.93 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में वृद्धि के मुख्य कारण घरेलू और विदेशी निवेश में क्रमश: 18.40 प्रतिशत और 27.28 प्रतिशत की वृद्धि तथा ऋण तथा अग्रिम में 245.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी, स्वर्ण में 52.85 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना थे। देयता पक्ष में हुई वृद्धि निर्गत नोटों, अन्य देयताओं और प्रावधानों तथा जमाराशियों में क्रमश: 21.52 प्रतिशत, 30.47 प्रतिशत और 53.72 प्रतिशत बढ़ोतरी के कारण हुई। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 28.75 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (भारत में धारित स्वर्ण सहित) 71.25 प्रतिशत थीं, जबकि इसकी तुलना में 30 जून 2019 को ये क्रमशः 28.03 प्रतिशत और 71.97 प्रतिशत थीं।

XII.3 ₹736.15 बिलियन प्रावधान किया गया और इसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ़) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय और केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति सारणी XII.1 में दी गयी है।

सारणी XII.1 : आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति

(₹ बिलियन में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
ए) आय	808.70	618.18	782.81	1,930.36	1,496.72
बी) कुल व्यय @	149.90#	311.55^	282.77&	170.45*	925.40**
सी) निवल प्रयोज्य आय (ए-बी)	658.80	306.63	500.04	1,759.91	571.32
डी) निधियों को अंतरण @@	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ई) केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	658.76	306.59	500.00	1,759.87	571.28

@ : इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

: इसमें बीआरबीएनएमपीएल के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

^ : इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुषंगी आरईबीआईटी के लिए पूंजी अंशदान हेतु ₹0.50 बिलियन का प्रावधान और सीएफ में अंशदान हेतु ₹131.40 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

& : इसमें सीएफ में अंतरण के लिए अतिरिक्त ₹141.90 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

* : एडीएफ़ में अंतरण के लिए ₹0.64 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

** : इसमें सीएफ में अंतरण के लिए अतिरिक्त ₹736.15 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

@@ : पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹0.01 बिलियन की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

XII.4 वर्ष 2019-20 के लिए तैयार स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय-विवरण, सभी अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी विवरण तथा लेखा-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैः-

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवार्थ
भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार एवं उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में इसके परिचालनों के परिणाम के सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के सभी आवश्यक प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यकलापों की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

दृष्टिकोण का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुरूप हमने यह लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है। लेखापरीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी तात्विक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाएँ अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती हैं। हमने जो कार्य किया है, यदि उसके आधार पर यह पाया जाता है कि इस अन्य जानकारी में दी गई जानकारी तात्विक रूप से गलत है, तो उन तथ्यों को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कोई सूचना हमें इस लेखापरीक्षा में नहीं मिली है।

प्रबंधन के दायित्व एवं वित्तीय विवरणों की गवर्नेन्स करने वालों के दायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों की गवर्नेन्स करने वाले व्यक्तियों का है और जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सही और सटीक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो एक सच्चा और सही दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, बैंक के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील बैंक से जुड़े मामलों के, यथालागू, प्रकटन और बैंक का लेखांकन कार्यशील बैंक आधार पर करने के लिए बैंक का प्रबंधतंत्र उत्तरदायी होगा जब तक कि प्रबंधतंत्र का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की ज़िम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके गवर्नेन्स का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से यह आश्वस्त करना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा इस बारे में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखापरीक्षा के एक प्रतिभागी के रूप में लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिसादी लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा क्रियापद्धति तैयार की जा सके लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंध-तंत्र द्वारा कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो संस्था की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। तथापि, भावी घटनाएँ अथवा स्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कार्यशील बैंक अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।

हम गवर्नेन्स का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण विसंगतियाँ भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

अन्य मामले

30 जून, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संयुक्त रूप से मेसर्स छाजेड एंड दोशी तथा मेसर्स जी. पी. कपाड़िया एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों ने अपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 26 अगस्त 2019 के जरिए संपन्न की और रिपोर्ट की, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रदान की गई और वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा के अपने कार्य के उद्देश्य हेतु जिस पर हमने भरोसा किया है। इस मामले में हमारी राय बदली नहीं है।

हम सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की बाईस लेखांकन इकाइयों का लेखा–जोखा शामिल है, जिनकी लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा-लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण
सं. 002438सी)

कृते हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण
सं. 103523डब्ल्यू/डब्ल्यू 100048)

प्रतिभा शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन : 20400755AAAABU3505

हेमंत जे. भट्ट
भागीदार
सदस्यता सं. 036834
यूडीआईएन : 20036834AAAAEB7640

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 अगस्त, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

देयताएं	अनुसूची	2018-19	2019-20	आस्तियां	अनुसूची	2018-19	2019-20
पूंजी		0.05	0.05	**बैंकिंग विभाग (बैं.वि.) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि		65.00	65.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	5	0.09	0.13
अन्य आरक्षित निधि	1	2.30	2.32	स्वर्ण सिक्के और बुलियन	6	882.98	1,428.75
जमाराशियाँ	2	7,649.22	11,758.60	निवेश-विदेशी बैंकिंग विभाग	7	6,964.53	10,234.00
अन्य देयताएं और प्रावधान	3	11,624.51	15,166.21	निवेश-घरेलू बैंकिंग विभाग	8	9,898.77	11,720.27
				खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम	9	931.87	3,222.07
				सहयोगी संस्थाओं में निवेश	10	19.64	19.64
				अन्य आस्तियां	11	643.20	367.32
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां**			
जारी किए गए नोट	4	21,687.97	26,355.75	सोने के सिक्के और बुलियन	6	792.04	1,131.46
				रुपये सिक्के		8.28	7.85
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	7	20,887.65	25,216.44
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	8	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
	कुल देयताएं	**41,029.05**	**53,347.93**		**कुल आस्तियां**	**41,029.05**	**53,347.93**

निर्मल चंद	एम. डी. पात्र	एम. के. जैन	बी. पी. कानूनगो	शक्तिकांत दास
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2020 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ बिलियन में)

आय	अनुसूची	2018-19	2019-20
ब्याज	12	1,068.37	1,093.33
अन्य आय	13	861.99	403.39
कुल		**1,930.36**	**1,496.72**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		48.11	43.78
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		0.88	0.87
एजेंसी प्रभार	14	39.10	38.76
कर्मचारी लागत		68.51	89.28
ब्याज		0.01	0.01
डाक और संचार प्रभार		1.03	1.17
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.22	0.20
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.26	1.36
मरम्मत और रखरखाव		0.98	0.88
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.02	0.02
लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय		0.05	0.06
विधिक प्रभार		0.17	0.09
विविध व्यय		7.97	10.71
मूल्यह्रास		1.50	2.06
प्रावधान		0.64	736.15
कुल		**170.45**	**925.40**
उपलब्ध शेष राशि		**1,759.91**	**571.32**
घटाएं:			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
(बी) नाबार्ड को अंतरण योग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि [1]		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि [1]		0.01	0.01
(सी) अन्य			
वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को अंतरित राशि		280.00	0.00
केंद्र सरकार को देय अधिशेष		**1,479.87**	**571.28**

1. *ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।*

निर्मल चंद	एम. डी. पात्र	एम. के. जैन	बी. पी. कानूनगो	शक्तिकांत दास
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ बिलियन में)

		2018-19	2019-20
अनुसूची 1:	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	0.28	0.29
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	2.02	2.03
	कुल	**2.30**	**2.32**
अनुसूची 2:	**जमाराशियां**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	1.01	1.00
	(ii) राज्य सरकारें	0.42	0.43
	उप योग	***1.43***	***1.43***
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,129.26	4,376.17
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	39.98	52.08
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	90.29	71.38
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	24.91	24.72
	(v) अन्य बैंक	209.64	184.14
	उप योग	***5,494.08***	**4,708.49**
	(सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप योग	***0.00***	***0.00***
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाते के प्रशासक	46.38	45.49
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि	257.47	331.14
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	19.05	16.80
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	2.13	23.47
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	3.38	3.52
	(vi) म्यूचुअल फंड	0.01	0.01
	(vii) अन्य	1,825.29	6,628.25
	उप योग	***2,153.71***	***7,048.68***
	कुल	**7,649.22**	**11,758.60**
अनुसूची 3:	**अन्य देयताएं और प्रावधान**		
	(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	1,963.44	2,640.34
	(ii) आस्ति विकास निधि (एडीएफ)	228.75	228.75
	(iii) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	6,644.80	9,771.41
	(iv) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां(आईआरए-एफएस)	157.35	538.34
	(v) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	494.76	934.15
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	13.04	0.00
	(vii) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.00	59.25
	(viii) देयराशियों के लिए प्रावधान	22.81	26.00
	(ix) उपदान और अधिवर्षिता निधि	206.10	256.39
	(x) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	1,759.87	571.28
	(xi) देय बिल	0.08	0.02
	(xii) विविध	133.51	140.28
	कुल	**11,624.51**	**15,166.21**
अनुसूची 4:	**जारी नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	0.09	0.13
	(ii) संचलन में नोट	21,687.88	26,355.62
	कुल	**21,687.97**	**26,355.75**

		2018-19	2019-20
अनुसूची 5:	**नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैंक के पास)**		
	(i) नोट	0.09	0.13
	(ii) रुपये सिक्के	0.00	0.00
	(iii) छोटे सिक्के	0.00	0.00
	कुल	**0.09**	**0.13**
अनुसूची 6:	**स्वर्ण सिक्के और बुलियन**		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण सिक्के और बुलियन	882.98	1,393.77
	(ii) जमा स्वर्ण	0.00	34.98
	उप योग	***882.98***	***1,428.75***
	(बी) निर्गम विभाग (जारी नोट के समर्थन के रूप में)	792.04	1,131.46
	कुल	**1,675.02**	**2,560.21**
अनुसूची 7:	**निवेश-विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	6,964.53	10,234.00
	(ii) निवेश-विदेशी - निर्गम विभाग	20,887.65	25,216.44
	कुल	**27,852.18**	**35,450.44**
अनुसूची 8:	**निवेश घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	9,898.77	11,720.27
	(ii) निवेश-घरेलू - निर्गम विभाग	0.00	0.00
	कुल	**9,898.77**	**11,720.27**
अनुसूची 9:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) केंद्र सरकार	265.31	0.00
	(ii) राज्य सरकार	26.66	46.24
	उप योग	***291.97***	***46.24***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	572.00	2,855.77
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	221.23
	(vi) अन्य	67.90	98.83
	उप योग	***639.90***	***3,175.83***
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिपो उधार- विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप योग	***0.00***	***0.00***
	कुल	**931.87**	**3,222.07**
अनुसूची 10:	**सहयोगी संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	0.50
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	18.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमि. (आरईबीआईटी)	0.50	0.50
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	0.30	0.30
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	0.34	0.34
	कुल	**19.64**	**19.64**

		2018-19	2019-20
अनुसूची 11:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	6.51	8.16
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	330.81	345.35
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	*3.27*	*3.47*
	बी. अन्य मदों पर	*327.54*	*341.88*
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)	13.04	0.00
	(v) विविध	292.84	13.81
	कुल	**643.20**	**367.32**
अनुसूची 12:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	583.43	703.04
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	10.46	-130.53
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	1.35	1.49
	(iv) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	14.98	35.57
	उप योग	***610.22***	***609.57***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय	278.11	330.25
	(ii) रिपो / रिवर्स रिपो लेन-देन पर निवल ब्याज	-0.04	0.09
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	180.08	153.42
	उप योग	**458.15**	***483.76***
	कुल	**1,068.37**	**1,093.33**
अनुसूची 13:	अन्य आय		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	0.00	7.35
	(iii) कमीशन	22.72	24.31
	(iv) प्राप्त किराया	0.07	0.09
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	0.40	12.52
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यह्रास	-0.27	-0.09
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	21.45	16.81
	(viii) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	0.01	0.01
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	526.18	2.49
	उप योग	***570.56***	***63.49***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-15.31	-27.42
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	16.76	67.39
	(iii) विदेशी मुद्रा लेनदेनों से प्राप्त विनिमय पर लाभ/हानि	289.98	299.93
	उप योग	***291.43***	***339.90***
	कुल	**861.99**	**403.39**
अनुसूची 14:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	38.17	37.88
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	0.74	0.61
	(iii) विविध (राहत /बचत बॉन्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया, हैंडलिंग प्रभार और टर्नओवर कमीशन)	0.02	0.06
	(iv) बाहरी आस्ति-प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क	0.17	0.21
	कुल	**39.10**	**38.76**

30 जून 2020 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य "बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।"

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

ए) बैंक नोट एवं सिक्कों का निर्गम।

बी) मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करना।

सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।

ई) विदेशी मुद्रा का प्रबंध कर्ता।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।

जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।

आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए और निर्गम विभाग की आस्तियाँ निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा उस समय संचलनगत बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 परंपरा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित प्ररूप में तैयार किये जाते हैं। ये विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं, केवल वहाँ छोड़कर जहाँ पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किए गए हैं। विदेशी प्रतिभूतियों और स्वर्ण के मूल्यन की आवृत्ति को छोड़ दिया जाए तो इन विवरणों को तैयार करने में अपनायी गयी लेखांकन-नीतियां वहीं हैं जिन्हें पिछले वर्ष अपनाया गया था। इस वर्ष के दौरान उक्त मूल्यन आवृत्ति को 'मासिक' से बदलकर 'साप्ताहिक और मासिक' कर दिया गया है।

2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाने के बाद उपचय के आधार पर शेयरों पर लाभांश आय को निर्धारित किया जाता है।

(बी) कतिपय अस्थायी खातों यथा- देय ड्राफ्ट खाता, भुगतान आदेश खाता, फुटकर जमा खाता-विविध, विप्रेषण व समाशोधन खाता, बयाना जमाराशि खाता तथा प्रतिभूति जमा खाता- में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए

गैर-दावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में शामिल किया जाता है । यदि कोई दावा होता है, तो भुगतान के वर्ष में उस पर विचार किया जाता है और उसे आय में से घटा दिया जाता है ।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस को लागू विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है ।

(डी) विदेशी मुद्राओं और स्वर्ण की बिक्री पर मिलने वाले विनिमय लाभ / हानि के मामले में लागत ज्ञात करने हेतु भारित औसत लागत पद्धति का इस्तेमाल करते हुए इसे हिसाब में लिया जाता।

2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेन का लेखांकन निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है ।

ए) स्वर्ण

स्वर्ण (जमा किए गए स्वर्ण सहित) का पुनर्मूल्यन प्रत्येक सप्ताह और माह के अंतिम कारोबारी दिन को, मूल्यन की तारीखों को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) द्वारा यूएस डालर में कोट की गयी स्वर्ण की कीमतों तथा रुपया-डालर बाजार विनिमय दर के 90 प्रतिशत मूल्य पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यन लाभ/हानि का लेखांकन मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह/माह के आखिरी कारोबारी दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं । विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है ।

खज़ाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय ''परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यू.के. द्वारा जारी बाण्डों में किए गए निवेश, जिनका मूल्यांकन लागत आधार पर किया जाता है) को छोड़कर, विदेशी प्रतिभूतियों के मूल्य को प्रत्येक सप्ताह और माह के अंतिम कारोबारी दिवस को विद्यमान बाजार-मूल्य (एमटीएम) पर दर्शाया जाता है । पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस)' में दर्ज किया जाता है। आईआरए-एफएस के जमा शेष को अगले वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-एफएस के नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अगले लेखा वर्ष के पहले कारोबारी दिवस को आकस्मिकता निधि में वापस जमा कर दिया जाता है ।

विदेशी ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पेपर्स को डिस्काउंट का परिशोधन करके यथा समायोजित लागत पर रखा जाता है । विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम अथवा डिस्काउंट का परिशोधन दैनिक आधार पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/हानि को अंकित मूल्य के संदर्भ में मान्य किया जाता है । विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों, आईआरए-एफएस में रखी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यन से हुए लाभ/हानि को आय-खाते में अंतरित किया जाता है ।

सी) वायदा / स्वैप संविदाएं

बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है । जिसमें, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा

संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदाओं पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि की प्रतिप्रविष्टि कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

30 जून को एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, को सीएफ के लिए प्रभारित किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस को इसकी प्रतिप्रविष्टि की जाती है। आरएफ़सीए और पीएफ़सीवीए की शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन पर हुए क्रमशः लाभ या हानि को दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप, जो रिपो के रूप में होती है, भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है। अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जहाँ एफसीवीए एवं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं' का हिस्सा होते हैं, वहीं आरएफसीए तथा एसएए 'अन्य आस्तियों' के तहत दर्शाए जाते हैं।

2.4 शेयर बाजार में व्यापार योग्य मुद्रा व्युत्पन्नियों का लेनदेन (ईटीसीडी)

ईटीसीडी लेनदेन के जरिए बैंक द्वारा बाजार में हस्तक्षेप किया जाता है और इन्हें दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर दर्शाया जाता है एवं इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

(ए) नीचे (डी) में दर्शाई गई प्रतिभूतियों को छोड़कर रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों को माह के अंतिम कारोबारी दिवस को बाजार भाव पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यन पर हुए लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)' में दर्ज किया जाता है। आईआरए-आरएस में जमा शेष को आगामी लेखा वर्ष के लिए ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-आरएस में नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिकता निधि (सीएफ) पर प्रभारित किया जाता है और आगामी लेखा वर्ष के प्रथम कार्यदिवस को इस राशि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों की बिक्री/मोचन करने पर बेची गई/मोचित रुपया प्रतिभूतियों/तेल बांडों संबंधी मूल्यन लाभ/हानि, जो आईआरए-आरएस में दर्ज है, को आय खाते में अंतरित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों का परिशोधन भी दैनिक आधार पर किया जाता है।

(बी) खजाना बिलों का मूल्यन लागत मूल्य पर किया जाता है।

(सी) अनुषंगियों के शेयरों में किए गए निवेश का मूल्यन लागत आधार पर किया जाता है।

(डी) तेल बांडों और रुपया प्रतिभूतियों को, जिन्हें विभिन्न प्रकार की स्टाफ निधियों (यथा ग्रेच्युटी एवं अधिवर्षिता, भविष्य निधि, छुट्टी का नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि) तथा जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) के लिए चिह्नित किया गया है उन्हें 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधित लागत पर धारित किया जाता है।

(ई) घरेलू निवेश के तहत किए गए लेनदेन का लेखांकन निपटान तारीख के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो/ रिवर्स रिपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के अंतर्गत रिपो लेनदेन को ऋण माना जाता है और तदनुसार, इनको 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो लेनदेन को जमा राशियां माना जा रहा है और इन्हें 'जमाराशि-अन्य' के तहत दर्शाया जा रहा है।

2.7 अचल आस्तियां

(ए) कला तथा पेंटिंग्स एवं पूर्ण स्वामित्व वाले भूभाग, जो कि लागत मूल्य पर दर्शाए जाते हैं, के अलावा अचल आस्तियों को उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दर्शाया जाता है।

(बी) वर्ष (1 जुलाई से 30 जून तक) के दौरान अधिग्रहीत तथा पूंजीकृत भूमि तथा भवन के अलावा अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास पूंजीकरण वाले महीने से आनुपातिक रूप में मासिक आधार पर माना जाएगा और प्रयुक्त आस्ति की उपयोगिता अवधि के आधार पर निर्धारित की गयी दरों पर वार्षिक आधार पर प्रभावी होगा।

(सी) नीचे दी हुई अचल आस्तियों (₹0.10 मिलियन से अधिक की लागत वाली) पर मूल्यह्रास आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती करते हुए निम्नानुसार किया जाता है :

आस्ति श्रेणी	उपयोगी जीवन मूल्यह्रास की दर
बिजली के उपकरण, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, जुड़नार, सीवीपीएस/एसबीएस मशीनें इत्यादि।	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कम्प्यूटर, सर्वर, माइक्रोप्रोसेसर, प्रिंटर्स, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

(डी) ₹0.10 मिलियन तक की लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से लाने-ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप / ई-बुक रीडर को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय पर प्रभारित की जाती हैं। लैपटॉप जैसी आसानी से लाने-ले जाने योग्य ₹10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को लागू दरों पर पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

(ई) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की विशिष्ट मदों, जिनकी लागत ₹0.10 मिलियन या उससे अधिक हो, को पूंजीकृत किया जाता है और उन पर मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

(एफ़) मूल्यह्रास का प्रावधान, छमाही की समाप्ति पर मौजूद अचल आस्तियों की शेष राशि पर प्रति माह आनुपातिक आधार पर किया जाता है। भूमि और भवन को छोड़कर अन्य आस्तियों के बढ़ने या घटने की स्थिति में मूल्यह्रास मासिक आनुपातिक आधार पर किया जाता है जिसमें इस प्रकार की आस्ति के बढ़ने या कम होने का माह भी शामिल किया जाता है।

(जी) अनुवर्ती व्यय के संबंध में मूल्यह्रास :

i. वर्तमान अचल आस्ति के संबंध में किए जाने वाले उस अनुवर्ती व्यय, जिसका मूल्यह्रास पूर्णरूप से लेखा बही में नहीं दर्शाया गया हो, के मूल्यह्रास की गणना मूल आस्ति की बची हुई उपयोगिता अवधि के आधार पर की जाती है; और

ii. पहले से मौजूद ऐसी अचल आस्तियाँ, जिनका मूल्यह्रास पहले ही लेखा बहियों में पूर्ण रूप से दर्शाया जा चुका हो, उनके आधुनिकीकरण/ वृद्धि/ मरम्मत करने पर होने वाले अनुवर्ती व्यय को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यह्रास पूर्णरूप से उसी वर्ष किया जाता है जिसमें व्यय किया गया हो।

(एच) भूमि एवं भवन : भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियाँ माना जाता है और इसीलिए इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

i. सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष माना जाता है और इन पर मूल्यह्रास तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि तीस वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।

ii. भवनों को हुई क्षति : क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

ए. *ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा :* ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यह्रास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

बी. *जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/जिन्हें खाली कर दिया गया है :* ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा स्क्रैप मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) को दर्ज किया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने वाले मूल्य (निवल बिक्री मूल्य) / स्क्रैप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

ए. बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

बी. दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'अनुमानित इकाई क्रेडिट' प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.5 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.5.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

XII.5.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ राशि को इस निधि में जमा

किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को सीजीआरए में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं' की मद का एक हिस्सा है।

XII.5.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) *राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के अनुसार ₹0.10 बिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष ₹0.01 बिलियन की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹0.29 बिलियन थी।

बी) *राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹0.50 बिलियन की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹0.01 बिलियन की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹2.03 बिलियन की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष ₹0.01 बिलियन रुपयों की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.5.4 जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

कुल जमाराशि में 53.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2019 के ₹7,649.22 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को ₹11,758.60 बिलियन हो गयी।

ए. *जमाराशियां - सरकार*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2019 के ₹1.01 बिलियन और ₹0.42 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमश: ₹1.00 बिलियन और ₹0.43 बिलियन थीं।

बी. जमाराशियां - बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 14.30 प्रतिशत की गिरावट आयी और यह 30 जून 2019 के ₹5,494.08 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को ₹4,708.49 बिलियन हो गयी।

सी. जमाराशियां - अन्य

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां आदि शामिल होती हैं। 'जमाराशियां-अन्य' जो कि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹2,153.71 बिलियन थी, इसमें 227.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2020 को ₹7,048.68 बिलियन हो गयी जिसका प्रमुख कारण आरबीआई के पास रिवर्स रिपो जमा में हुई वृद्धि थी।

XII.5.5 अन्य देयताएं और प्रावधान

'अन्य देयताओं और प्रवाधानों' के प्रमुख घटक जोखिम प्रावधान और पुनर्मूल्यन शीर्ष हैं। 'अन्य देयताएं और प्रावधान' की राशि 30 जून 2019 के अनुसार ₹11,624.51 बिलियन थी, इसमें 30.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2020 को ₹15,166.21 बिलियन हो गयी जिसका प्रधान कारण सीजीआरए में हुई वृद्धि थी।

i. *जोखिम प्रावधान*

बैंक के दो जोखिम प्रावधान है अर्थात, सीएफ और एडीएफ। इन निधियों के लिए किए गए प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार किए गए हैं। उनके विवरण निम्नानुसार हैं :

ए. *आकस्मिक निधि (सीएफ)*

इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम शामिल हैं। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार, एफसीवीए के नामे शेष के कारण सीएफ पर ₹59.25 बिलियन का प्रभार लगाया गया। अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर सीएफ का प्रभार प्रत्यावर्तित किया गया। इसके अलावा, सीएफ के लिए ₹736.15 बिलियन का प्रावधान किया गया। तदनुसार, 30 जून 2019 के ₹1,963.44 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को सीएफ शेष राशि ₹2,640.34 बिलियन थी।

बी. *आस्ति विकास निधि (एडीएफ)*

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाई गई और उसकी शेष राशि उस तारीख तक विशेष रूप से अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाती है। इसे बैंक के जोखिम प्रावधानों के हिस्से के रूप में भी माना जाता है। वर्ष 2019-20 में एडीएफ को हस्थानांतरित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। अत:, 30 जून 2020 को एडीएफ की शेष राशि ₹228.75 बिलियन बन रह थी (सारणी XII.2)।

ii. *पुनर्मूल्यन खाते*

अप्राप्त बाजार मूल्यों (एमटीएम) लाभ/हानि को पुनर्मूल्यन शीर्ष अर्थात सीजीआरए, आईआरए-एफएस, आईआरए-

सारणी XII.2 : जोखिम प्रावधानों में शेष राशि

(₹ बिलियन में)

30 जून की स्थिति के अनुसार	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि कुल	कुल	आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
2016	2,201.83@	227.61	2,429.44	7.5
2017	2,282.07#	228.11	2,510.18	7.6
2018	2,321.08^	228.11	2,549.19	7.05
2019	1,963.44&	228.75	2,192.19	5.34
2020	2,640.34*	228.75	2,869.09	5.38

@: 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार वायदा संविदा पर हुई एमटीएम हानि की वजह से एफसीवीए के नामे शेष प्रभारित करने के कारण सीएफ में गिरावट हुई।

: 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹131.40 बिलियन के प्रावधान और आईआरएस एवं एफ़सीवीए के ₹65.85 बिलियन राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

^ : 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹141.90 बिलियन के प्रावधान और आईआरए-एफ़एस के ₹168.74 बिलियन राशि के नामे शेष को प्रभारित करने की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

& : 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार सीएफ में आयी गिरावट ₹526.37 बिलियन के अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन किए जाने के कारण है।

* : 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹736.15 बिलियन के प्रावधान और ₹59.25 बिलियन राशि के वायदा संविदाओं पर एमटीएम हानि की वजह से एफसीवीए में नामे शेष प्रभारित करने के निवल प्रभाव के चलते सीएफ में वृद्धि हुई।

आरएस और एफसीवीए में अंकित किया जाता है। उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. *मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)*

रिज़र्व बैंक के समक्ष आए बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसीलिए, सीजीआरए में निवल शेष आस्ति आधार के आकार, इसके मूल्यन और विनिमय दरों तथा स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के साथ परिवर्तन होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर / स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के लिए एक बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता है, या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है, तो इस पर दबाव आ सकता है। यदि विनिमय घाटे को पूरा करने के लिए सीजीआरए पर्याप्त नहीं होता, तो इसकी भरपायी आकस्मिकता निधि से की जाती है। 2019-20 के दौरान, सीजीआरए शेष में 30 जून 2019 के ₹6644.80 बिलियन से वृद्धि हुई और यह 30 जून 2020 को ₹9,771.41 बिलियन हो गया जिसका मुख्य कारण रुपये का अवमूल्यन तथा स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि है।

बी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफ़एस)*

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों (एमटीएम) के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार आईआरए-एफएस की शेष राशि ₹157.35 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹538.34 बिलियन हो गयी।

सी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता – रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)*

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और ऑयल बॉन्डों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत यथा उल्लिखित अपवाद सहित) का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश आईआरए-आरएस में दर्ज किया जाता है। आईआरए-आरएस में शेष राशि 30 जून 2019 के ₹494.76 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को ₹934.15 बिलियन हो गयी क्योंकि इस वर्ष के दौरान रुपया प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई थी और बैंक द्वारा धारित भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफलों में गिरावट आयी थी।

डी. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए)

30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन करने पर निवल ₹59.25 बिलियन की अप्राप्त हानि हुई जिसे एफसीवीए में नामे डालते हुए इसकी प्रतिप्रविष्टि आरएफसीए में जमा करके की गयी। वर्तमान नीति के अनुसार, 30 जून 2020 को एफसीवीए के ₹59.25 बिलियन नामे शेष को सीएफ में समायोजित किया गया। तदनुसार, एफसीवीए की शेष राशि 30 जून 2019 के ₹13.04 बिलियन की तुलना में शून्य थी। साथ ही, नीति के अनुसार, अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर एफसीवीए और पीएफसीवीए में शेष राशि संविदा की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती है।

iii. वायदा संविदा मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) हेतु प्रावधान

बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन करने पर हुई निवल हानि उपर बताए गए अनुसार पीएफसीवीए में क्रेडिट की गयी। 30 जून 2019 के शून्य शेष की तुलना में 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार एफसीवीए की शेष राशि ₹59.25 बिलियन थी।

पिछले पाँच वर्षों के लिए पुनर्मूल्यन खाते तथा वायदा संविदा मूल्यन खाते में शेष राशि की स्थिति सारणी XII.3 में दी गई है।

सारणी XII.3: सीजीआरए, एफ़सीवीए, पीएफ़सीवीए, आईआरए-एफ़एस और आईआरए-आरएस में शेष राशियां

(₹ बिलियन में)

30 जून की स्थिति	सीजीआरए	एफसीवीए	पीएफसीवीए	आईआरए-एफएस	आईआरए–आरएस
1	2	3	4	5	6
2016	6,374.78	0.00	14.69	132.66	391.46
2017	5,299.45	0.00	29.63	0.00	570.90
2018	6,916.41	32.62	0.00	0.00	132.85
2019	6,644.80	13.04	0.00	157.35	494.76
2020	9,771.41	0.00	59.25	538.34	934.15

iv. देय राशि के लिए किए गए प्रावधान

इस मद के तहत, किए गए खर्च जिसकी अदायगी न की गयी हो और अग्रिम के रूप में प्राप्त/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2019 के ₹22.81 बिलियन से 13.99 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 में ₹26 बिलियन रह गई।

v. केंद्र सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अतिकर का भुगतान नहीं करना है। तदनुसार, व्यय समायोजित करने के बाद सीएफ के लिए प्रावधान तथा चार सांविधिक निधियों के प्रति ₹0.04 बिलियन अंशदान के बाद 2019-20 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹571.28 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹7.16 बिलियन की तुलना में ₹6.32 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर भारत सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)।

vi. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्टों (डीडी) और भुगतान आदेशों (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद के अंतर्गत शेष बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाता

है। इस मद के अंतर्गत बकाया राशि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹0.08 बिलियन से घटकर 30 जून 2020 को ₹0.02 बिलियन रह गयी।

vii. विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण के कारण देय राशियां, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹133.51 बिलियन थी जो बढ़कर 30 जून 2020 को ₹140.28 बिलियन हो गयी।

XII.5.6 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताओं से संचलनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। 'जारी किए गए नोटों' की संख्या 30 जून 2019 को ₹21,687.97 बिलियन थी जो 30 जून 2020 को 21.52 प्रतिशत बढ़कर ₹26,355.75 बिलियन हो गई। यह वृद्धि जनसाधारण की लेन-देन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में बैंक नोट उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनवरत किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी। साथ ही, 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य को दर्शाने वाली ₹107.20 बिलियन की राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था, उसे 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' में अंतरित कर दिया गया। दिनांक 12 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹0.06 बिलियन राशि के विनिमय मूल्य की अदायगी पात्र नोट प्रस्तुतकर्ताओं को की।

XII.6 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.6.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

इस शीर्ष में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों को दर्शाया गया है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹0.13 बिलियन थी जबकि 30 जून 2019 को यह शेष राशि ₹0.09 बिलियन थी।

ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन

रिज़र्व बैंक के पास 30 जून 2019 के 618.16 मीट्रिक टन की तुलना में 30 जून 2020 को 661.41 मीट्रिक टन स्वर्ण है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान 43.25 मीट्रिक टन अतिरिक्त स्वर्ण शामिल करने के कारण हुई है।

30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार उक्त 661.41 मीट्रिक टन में से 292.30 मीट्रिक टन जारी किए गए नोटों के समर्थन में धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 30 जून 2019 के शेष 325.86 मीट्रिक टन की तुलना में 30 जून 2020 को धारित 369.11 मीट्रिक टन स्वर्ण बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाता है (सारणी XII.4)।

सारणी XII.4: स्वर्ण की वास्तविक धारिता

	30 जून 2019 के अनुसार	30 जून 2020 के अनुसार
	मात्रा मीट्रिक टन में	मात्रा मीट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोटों को सहारा देने हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.30	292.30
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	325.86	369.11
कुल	**618.16**	**661.41**

बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2019 के ₹882.98 बिलियन से 61.81 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 को ₹1,428.75 बिलियन हो गया, इसका प्राथमिक कारण वर्ष के दौरान 43.25 मीट्रिक टन सोने के जुड़ने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत का बढ़ना रहा है।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2019-20 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरुप, 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की बही में इस प्रकार की कोई आस्ति नहीं है।

iv) निवेश-विदेश-बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की एफ़सीए में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियाँ (iii) वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं में जमाराशियाँ (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं।

एफ़सीए को तुलन-पत्र में दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है : (ए) 'निवेश-विदेश-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है तथा (बी) 'निवेश-विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

निवेश-विदेश-आईडी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार पात्र, एफ़सीए है जो जारी नोटों के समर्थन के लिए उपयोग की जाती है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के शेष से 'निवेश-विदेश-बीडी' तैयार होता है।

पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

v) निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष ऑयल बॉन्ड शामिल हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित घरेलू प्रतिभूतियां जो कि 30 जून 2019 को ₹9,898.77 बिलियन थी वे 18.40 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 को ₹11,720.27 बिलियन हो गई। यह वृद्धि ₹1,815.03 बिलियन (अंकित मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियों की निवल खरीद के माध्यम से किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के कारण हुई थी।

सारणी XII.5: एफसीए का विवरण

(₹ बिलियन में)

विवरण		30 जून की स्थिति	
		2019	2020
1		2	3
I	निवेश-विदेश-आईडी	20,887.65	25,216.44
II	निवेश-विदेश-बीडी*	6,964.53	10,234.00
	कुल	**27,852.18**	**35,450.44**

**: इसमें बीआईएस और स्विफ्ट के शेयर और 30 जून 2019 के ₹103.21 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹112.11 बिलियन पर मूल्यांकित भारत सरकार से अंतरित एसडीआर शामिल हैं।*

टिप्पणियां:

1. *भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। वर्तमान में एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता 4.44 बिलियन एसडीआर(₹462.59 बिलियन/यूएस$ 6.13 बिलियन) बैठती है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार एनएबी के तहत एसडीआर 0.22 बिलियन (₹22.91 बिलियन/यूएस$ 0.30 बिलियन) राशि का निवेश किया गया है।*
2. *भारतीय रिज़र्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉन्डों में राशि, जो कुल 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹377.55 बिलियन) से अधिक नहीं होगी, के निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉन्डों में यूएस$ 1.86 बिलियन (₹140.68 बिलियन) का निवेश किया है।*
3. *भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार, 2016 के अनुसार, रिज़र्व बैंक यूएस$ 10 बिलियन (₹755.10 बिलियन) के समतुल्य राशि हेतु एसडीआर में अंकित आईएमएफ नोट्स की खरीद करेगा।*
4. *वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास एसडीआर 1.05 बिलियन (₹109.01 बिलियन/यूएस$ 1.44 बिलियन) की धारिता थी।*
5. *रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के तहत सार्क सदस्य देशों के क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में मिलाकर यूएस $2 बिलियन की राशि की पेशकश करने पर सहमति दर्शाई है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार भूटान और मालदीव के साथ क्रमशः यूएस$ 0.19 बिलियन (₹14.28 बिलियन)और यूएस$ 0.15 बिलियन (₹11.33 बिलियन) बकाया स्वैप है।*

निवेश-घरेलू-बीडी के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में वर्णित के अनुसार बहुत सी स्टाफ निधियों तथा डीईए निधि के लिए भी रखा गया है। 30 जून 2020 के अनुसार ₹676.09 बिलियन (अंकित मूल्य) को एक साथ ली गई स्टाफ निधि तथा डीईए निधि के लिए रखी गयी है।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) *केंद्र और राज्य सरकारें*

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं भारत सरकार से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। केंद्र सरकार का ऋण और अग्रिम 30 जून 2019 के ₹265.31 बिलियन से घटकर 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार शून्य हो गएं चूंकि केंद्र सरकार उस दिन अधिशेष में थी। जबकि राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 30 जून 2019 के ₹26.66 बिलियन की तुलना में बढ़कर 30 जून 2020 को ₹46.24 बिलियन हो गए।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम*

- *वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम :*

इसमें मुख्यतः एलएएफ और एमएसएफ और बैंकों के लिए विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत रिपो के प्रति बकाया राशि शामिल हैं। बकाया राशि 30 जून 2019 की ₹572 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹2,855.77 बिलियन हो गई, इसका मुख्य कारण बैंकों के लिए रिपो के एवज में बकाया राशि में वृद्धि रही।

- *नाबार्ड को ऋण और अग्रिम :*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2019 की शून्य स्थिति से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹221.23 बिलियन हो गयी।

- *अन्य को ऋण और अग्रिम :*

इस मद के तहत शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता शामिल हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2019 की ₹67.90 बिलियन से 45.55 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 को ₹98.83 बिलियन हो गई, जिसका प्रमुख कारण एनएचबी को ऋण और अग्रिम में वृद्धि थी।

vii) अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में निवेश

30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक का, अपनी अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में कुल धारिता पिछले वर्ष के समान ₹19.64 बिलियन थी। इसका विवरण सारणी XII.6 में दिया गया है।

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियों' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास का निवल), उपचित आय, एसएए, आरएफ़सीए तथा विविध आस्तियों में धारित शेष होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण

सारणी XII.6: 2019-20 में अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में धारिताएं

अनुषंगी/सहायक संस्थाओं		(राशि ₹ बिलियन में)	30 जून 2020 तक प्रतिशत धारिता
1		2	3
ए)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	100
बी)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	100
सी)	भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा) लि. (आरईबीआईटी)	0.50	100
डी)	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	0.30	30
ई)	भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	0.34	100
	कुल	**19.64**	

परियोजनाओं पर किए गए व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि आदि शामिल हैं। अन्य आस्तियों के तहत शेष राशि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹643.20 बिलियन थी जो 42.89 प्रतिशत घटकर 30 जून 2020 को ₹367.32 बिलियन रह गयी।

ए. स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

स्वैप के मामले में, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रिपो जैसा है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा की गयी है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जाता है और इसे एसएए में धारण किया गया है। इस खाते में धारित राशियों को बकाया संविदाएं परिपक्व हो जाने पर प्रत्यावर्तित किया जाना है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार कोई भी बकाया संविदाएं नहीं है।

बी. वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

मौजूदा नीति के अनुसार वायदा संविदाओं को बाजार भाव पर अर्धवार्षिक आधार पर दर्शाया जाता है और इससे हुए निवल लाभ को एफसीवीए में दर्ज करना होता है और उसकी प्रति-प्रविष्टि (कान्ट्रा एंट्री) आरएफसीए में की जाती है । आरएफसीए शेष 30 जून 2019 की स्थिति ₹13.04 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार शून्य था।

XII.6.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, निवेश-विदेश-आईडी, भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 661.41 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.30 मीट्रिक टन भारत में 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान के लिए रखा गया है (सारणी XII.4)। जारी किए गए नोटों को समर्थन देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2019 को ₹792.04 बिलियन था, जो 42.85 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 को ₹1,131.46 बिलियन हो गया। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को समर्थन देने के लिए धारित निवेश-विदेश-आईडी 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹20,877.65 बिलियन थी, जो 20.72 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹25,216.44 बिलियन हो गई। निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹8.28 बिलियन से 5.19 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹7.85 बिलियन रह गई।

XII.7 विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)

XII.7.1 एफईआर में एफसीए, स्वर्ण, एसडीआर एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल है। विशेष आहरण अधिकार,

(भारत सरकार से प्राप्त राशि के अलावा और निवेश-विदेश-बीडी में शामिल) रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं होते हैं। इसी प्रकार, रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी), आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में अंशदान के रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2019 एवं 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) में प्रस्तुत है।

सारणी XII.7 (ए): विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)

(₹ बिलियन में)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2019	2020	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए)	27,616.45^	35,175.14#	7,558.69	27.37
स्वर्ण	1,675.02@	2,560.21*	885.19	52.85
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	100.36	109.23	8.87	8.84
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	231.69	341.12	109.43	47.23
विदेशी मुद्रा भंडार (एफ़ईआर)	**29,623.52**	**38,185.70**	**8,562.18**	**28.90**

^ : *निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिताएं जो ₹100.36 बिलियन के समतुल्य हैं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹128.39 बिलियन का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को ₹6.98 बिलियन का उधार।*

\# : *निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की ₹109.01 बिलियन की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में ₹140.68 बिलियन का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत मालदीव को दिए गए ₹11.33 बिलियन उधार और भूटान को दिए गए ₹14.28 बिलियन उधार।*

@ : *इसमें से ₹792.04 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹882.98 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।*

* : *इसमें से ₹1,131.46 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,428.75 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।*

सारणी XII.7 (बी): विदेशी मुद्रा भंडार (एफ़ईआर)

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2019	2020	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए)	400.71*	465.83**	65.12	16.25
स्वर्ण	24.30	33.90	9.60	39.51
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1.46	1.45	(-) 0.01	(-) 0.68
आईएमएफ़ में रिज़र्व ट्रान्च की स्थिति (आरटीपी)	3.36	4.52	1.16	34.52
विदेशी मुद्रा भंडार (एफ़ईआर)	**429.83**	**505.70**	**75.87**	**17.65**

* : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की 1.46 बिलियन अमरीकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में 1.86 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य 0.1 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार।

** : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की 1.44 बिलियन अमरीकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में 1.86 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत मालदीव को रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य 0.15 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार और भूटान को रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य 0.19 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार।

आय और व्यय का विश्लेषण

XII.8 आय

XII.8.1 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटकों में 'ब्याज से होने वाली प्राप्तियां', जो आय का प्रमुख भाग है तथा 'अन्य आय' हैं, जिनमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय (iii) कमीशन (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों से मिलने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं विमोचन से हुआ लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियो हस्तांतरण पर मूल्यह्रास (vii) प्राप्त किराया (viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ अथवा हानि एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं। आय के कतिपय मद, जैसे, एलएएफ रिपो से प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रिपो

और विनिमय लाभ/हानि निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.8.2 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2018-19 में ₹749.58 बिलियन थी, जो 9.88 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹823.66 बिलियन हो गई, जो एफसीए के स्तर में वृद्धि, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और वर्ष की पहली छमाही में सभी मुद्राओं में प्रतिलाभ/ब्याज दरों में सामान्य बढ़ोतरी के कारण हुए । विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2018-19 की 2.79 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में 2.65 प्रतिशत पर थी (सारणी XII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.8.3 घरेलू स्रोतों से होने वाली आय 2018-19 में ₹1,180.78 बिलियन थी, जो 2019-20 में ₹673.06 बिलियन हो गई। पिछले वर्ष की आय में आकस्मिक निधि के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान की राशि ₹526.37 बिलियन शामिल थी। पिछले वर्ष की आय से उक्त राशि शामिल किए बिना की गयी तुलना, 2019-20 की आय में मामूली वृद्धि दर्शाता है (सारणी XII.9) । बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के अवशोषण के कारण एलएएफ/एमएसएफ के तहत ब्याज पर निवल ब्याज बहिर्गमन से वर्तमान वर्ष की आय भी प्रभावित हुई है।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ बिलियन में)

मद			घट-बढ़	
	2018-19	2019-20	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए)	27,852.18	35,450.44	7,598.26	27.28
औसत एफ़सीए	26,896.92	31,103.66	4,206.74	15.64
एफ़सीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	749.58	823.66	74.08	9.88
औसत एफ़सीए के प्रतिशत के रूप में एफ़सीए से अर्जन	2.79	2.65	-0.14	-5.02

XII.8.4 *रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को धारण करने से होने वाला ब्याज* 2018-19 में ₹583.43 बिलियन था, जो 20.50 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹703.04 बिलियन हो गया जो कि 2019-20 में रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता में ₹1,815.03 बिलियन (अंकित मूल्य) की निवल खरीद से हुई बढ़ोतरी के कारण हुआ ।

XII.8.5 *एलएएफ/एमएसएफ परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज आय* 2018-19 में ₹11.81 बिलियन से घटकर 2019-20 में ₹(-)129.04 बिलियन हो गई, जो बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के अवशोषण के कारण एलएएफ/एमएसएफ के तहत ब्याज पर निवल ब्याज बहिर्गमन के कारण था। उच्च बैंकिंग प्रणाली अधिशेष, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणाली-स्तर की चलनिधि को बढ़ाने और कोविड-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के कारण धन की कमी का सामना करने वाले विशिष्ट क्षेत्रों को चलनिधि चैनलाइज़ करने के लिए किए गए समर्थक सक्रिय चलनिधि प्रबंधन परिचालन के कारण था।

XII.8.6 *रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और शोधन पर होने वाला लाभ* 2018-19 के ₹0.40 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में ₹12.52 बिलियन हो गया जो 2018-19 में ₹0.60 बिलियन (अंकित मूल्य) की रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री की तुलना में 2019-20 में ₹421.11 बिलियन (अंकित मूल्य) की उच्च बिक्री संचालन के कारण हुआ था।

XII.8.7 *रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्ड के परिशोधन से प्राप्त होने वाला प्रीमियम/डिस्काउंट :* रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है और प्रीमियम/डिस्काउंट को आय शीर्ष में जमा किया जाता है। घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट से होने

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ बिलियन में)

मद	2018-19	2019-20	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन **(I+II+III+IV)**	**1,180.78**	**673.06**	**-507.72**	**-43.00**
I. रुपये प्रतिभूतियों और बट्टा लिखतों से अर्जन				
i) रुपये प्रतिभूतियों और तेल बॉन्ड की धारिता पर ब्याज	583.43	703.04	119.61	20.50
ii) रुपये प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ	0.40	12.52	12.12	3,030.00
iii) रुपये प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-0.27	-0.09	0.18	66.67
iv) रुपये प्रतिभूतियों और तेल बॉण्ड पर प्रीमियम/बट्टा का परिशोधन	21.45	16.81	-4.64	-21.63
v) बट्टा	0.00	7.35	7.35	-
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	**605.01**	**739.63**	**134.62**	**22.25**
II. एलएएफ/एमएसएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	10.46	-130.53	-140.99	-1,347.90
ii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	1.35	1.49	0.14	10.37
उप जोड़ (i+ii)	**11.81**	**-129.04**	**-140.85**	**-1,192.63**
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	12.85	23.14	10.29	80.08
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1.47	11.75	10.28	699.32
iii) कर्मचारी	0.66	0.68	0.02	3.03
उप जोड़ (i+ii+iii)	**14.98**	**35.57**	**20.59**	**137.45**
IV. अन्य अर्जन				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	22.72	24.31	1.59	7.00
iii) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध	526.26	2.59	-523.67	-99.51
उप जोड़ (i+ii+iii)	**548.98**	**26.90**	**-522.08**	**-95.10**

वाली निवल आय 2018-19 में ₹21.45 बिलियन थी जो 21.63 प्रतिशत घटकर 2019-20 में ₹16.81 बिलियन रह गई।

XII.8.8 *बट्टा-घरेलू :* वर्ष 2019-20 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने बट्टागत लिखतों [टी-बिल तथा नकदी प्रबंधन बिल(सीएमबी)] की धारिता पर ₹7.35 बिलियन अर्जित किए। वर्ष 2018-19 के दौरान रिज़र्व बैंक ने कोई भी बट्टागत लिखतों को धारित नहीं किया था।

XII.8.9 *ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज*

ए. *केंद्र और राज्य सरकार :*

केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 2018-19 के ₹12.85 बिलियन से 80.08 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹23.14 बिलियन हो गई। केंद्र से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज से होने वाली आय 2018-19 के ₹10.65 बिलियन से 100.09 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹21.31 बिलियन हो गई और राज्य से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) पर ब्याज से होने वाली आय 2018-19 के ₹2.20 बिलियन से 16.82 प्रतिशत घटकर 2019-20 में ₹1.83 बिलियन रह गई। यह बढ़ा हुआ निवल अर्जन 2019-20 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा डबल्यूएमए/ओडी सुविधा का उच्चतर प्रयोग करने के कारण रहा।

बी. बैंक और वित्तीय संस्थाएं : बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2018-19 के ₹1.47 बिलियन से 699.32 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में ₹11.75 बिलियन हो गया।

सी. कर्मचारी : कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2018-19 के ₹0.66 बिलियन से 3.03 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹0.68 बिलियन हो गया।

XII.8.10 *कमीशन :* कमीशन आय 2018-19 के ₹22.72 बिलियन से 7.00 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹24.31 बिलियन हो गई, जिसकी प्रमुख वजह बचत बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, टी-बिल्स और सीएमबी सहित केंद्र और राज्य सरकार ऋणों की बकाया के लिए प्राप्त मैनेजमेट कमीशन में बढ़ोतरी रही ।

XII.8.11 *प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय :* आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन 2018-19 में ₹526.26 बिलियन था, जो 2019-20 में घटकर ₹2.59 बिलियन हो गया। पिछले वर्ष में सीएफ से अतिरिक्त जोखिम प्रावधान को इन प्रावधानों की और जरूरत नहीं में राईट बैक करने के कारण 2018-19 में आय उच्च रही।

XII.9 व्यय

XII.9.1 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को करने के क्रम में एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों के मुद्रण, खजाने के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय के रूप मे विभिन्न प्रकार के व्यय करता है। बैंक का कुल व्यय 2018-19 के ₹170.45 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में ₹925.40 बिलियन हो गया (सारणी XII.10), यह बढ़ोतरी मुख्यत: (ए) सीएफ के लिए ₹736.15 बिलियन राशि का जोखिम प्रावधान करने और (बी) प्रमुख रूप से बीमांकिक मूल्यांकन की वजह से कर्मचारी लागत बढ़ने के कारण हुई।

सारणी XII.10: व्यय

(₹ बिलियन में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ii. कर्मचारी लागत	44.77	46.21	38.48	68.51	89.28
iii. एजेंसी प्रभार/कमीशन	47.56	40.52	39.03	39.10	38.76
iv. नोटों का मुद्रण	34.21	79.65	49.12	48.11	43.78
v. प्रावधान	10.00	131.90	141.90	0.64	736.15
vi. अन्य	13.35	13.26	14.23	14.08	17.42
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**149.90**	**311.55**	**282.77**	**170.45**	**925.40**

i) ब्याज भुगतान

वर्ष 2019-20 के दौरान ब्याज के रूप में ₹0.01 बिलियन की राशि डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा किया गया।

ii) कर्मचारी लागत

वर्ष 2019-20 में कुल कर्मचारी लागत 30.32 प्रतिशत बढ़कर ₹89.28 बिलियन हो गई जबकि 2018-19 में यह ₹68.51 बिलियन थी। इस बढ़ोतरी का कारण 2019-20 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के लिए बैंक के व्यय में बढ़ोतरी होना था।

iii) एजेंसी प्रभार/कमीशन

ए. *सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन*

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। इन दरों में 01 जुलाई 2019 से संशोधन

किया गया। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी प्रभार वर्ष 2019-20 में 0.76 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ ₹37.88 बिलियन रहा जबकि 2018-19 में यह ₹38.17 बिलियन रहा था। ₹0.29 बिलियन की मामूली गिरावट ई-कुबेर इंटीग्रेशन के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा बढ़ी लेनदेन प्रक्रिया और कोविड से उत्पन्न परिस्थिति के कारण संबंधित सरकारी लेनदेन में संभावित गिरावट के दोहरे प्रभाव के कारण हुई।

बी. *प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन*

रिज़र्व बैंक द्वारा 2019-20 के दौरान कुल हामीदारी कमीशन के रूप में ₹0.61 बिलियन का भुगतान किया गया, जबकि 2018-19 में यह ₹0.74 बिलियन रहा था। जुलाई 2019-जून 2020 की अवधि में जी-सेक उधार कार्यक्रम में बढ़ोतरी और अंतिम तिमाही में कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितता देखी गई । तथापि, इन घटनाओं के चलते प्रतिलाभ में होने वाली संभावित बढ़ोतरी वर्ष भर अनेक कारणों से काफी हद तक प्रभावित रही । पहली दो तिमाहियों के दौरान, आर्थिक स्थिति कम अस्थिरता के साथ स्थिर बनी रही। रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रिपो दर में की गई कटौती और बाजार हस्तक्षेप के कारण प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, कच्चे तेल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी रहीं और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार विवाद कम देखा गया। अंतिम तिमाही के दौरान, ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ), लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस (एलटीआरओ) और लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) के माध्यम से प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय यथा – नीतिगत दरों में कटौती और समय पर हस्तक्षेप के कारण पूरे प्रतिफल वक्र में प्रतिफलों में काफी नरमी देखी गई । इसे वैश्विक कारकों यथा- कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाए गए समान उदार रुख का भी समर्थन मिला । इसके अतिरिक्त, सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने संबंधी उपायों की घोषणा के चलते बाजार में सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहा । इसलिए, पूरे वर्ष घरेलू ऋण बाजार की स्थिति स्थिर बनी रही, जिससे ऐसी नौबत की संभावना घट गई जिससे प्रतिभूतियों को हामीदारी करने के लिए प्राथमिक व्यापारी पिछले वर्ष की तुलना में कम कमीशन की मांग करते।

सी. *विविध खर्च*

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत /बचत बॉन्ड अभिदान के लिए बैंकों को प्रदत्त टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधार एवं उधार प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन इत्यादि शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त कमीशन 2018-19 के ₹0.02 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में ₹0.06 बिलियन हो गया।

डी. *बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क*

वर्ष 2019-20 के दौरान अभिरक्षा सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क 2018-19 के ₹0.17 बिलियन से बढ़कर ₹0.21 बिलियन हो गया।

iv) नोट मुद्रण

वर्ष 2019-20 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या 22,388 मिलियन (एमपीसीएस) थी जो कि वर्ष 2018-19 (29,191 एमपीसीएस) की तुलना में 23.31 प्रतिशत कम है। इसलिए बैंक नोटों के मुद्रण पर व्यय 2019-20 में 9.00 प्रतिशत घटकर ₹43.78 बिलियन रह गया जबकि 2018-19 में यह ₹48.11 था।

V) प्रावधान

वर्ष 2019-20 में ₹736.15 बिलियन राशि का प्रावधान सीएफ के लिए किया गया।

Vi) अन्य

अन्य व्यय 2018-19 के ₹14.08 बिलियन से 23.72 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹17.42 बिलियन हो गया, जिनमें खज़ाना के विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखापरीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं।

XII.10 आकस्मिक देयताएं

XII.10.1 बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹11.68 बिलियन हो गईं। इसका मुख्य घटक यह है कि बैंक, एसडीआर मूल्यवर्ग में, बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर धारण करता है। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकाल्ड लायबिलिटी) 30 जून 2020 को ₹9.30 बिलियन थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

XII.11 पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.11.1 प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए केवल ₹0.01 मिलियन और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय एवं आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹(-)0.01 बिलियन एवं ₹0.36 बिलियन थे।

XII.12 पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.12.1 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

XII.13 लेखापरीक्षक

XII.13.1 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2019-20 की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी, मुंबई एवं मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी, एलएलपी मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स कोठारी एंड कंपनी, कोलकाता, मेसर्स सूरी एंड कंपनी, चेन्नै तथा मेसर्स बंसल एंड कंपनी, एलएलपी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।